FAQ

01. तृतीय चरण में भाग लेने के लिए कौन -कौन पात्र है ?

उत्तर :- प्रथम दो चरणों में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थी व तृतीय चरण में नवीन रजिस्ट्रेशन करने वाले समस्त अभ्यर्थी तृतीय चरण में भाग लेने के लिए पात्र होंगें।

02. तृतीय चरण में अपग्रेड करने के क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर :- प्रथम दो चरणों में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थी तृतीय चरण में अपनी नवीन चॉव्ईस भरकर अपग्रेड हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु यहां यह विदित है कि तृतीय चरण में सीटों का आवंटन सीट मेट्रिक्स में उपलब्ध सीटों व वरियता क्रम के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। (यहां अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्ही विकल्पों को भरे जो वो अपग्रेड मे जाना चाहते है।) यदि R-3 के दौरान नए विकल्प भरने पर करने पर सीट अपग्रेड हो जाती है, तो पहले आवंटित R-1/R-2 सीट रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवार को R-3 रिपोर्टिंग नियमों के अनुसार राउंड-3 अपग्रेडेड सीट पर शामिल होना होगा।

03. क्या तृतीय चरण में अपग्रेड होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करना अनिवार्य है ?

उत्तर :- हाँ, यदि किसी अभ्यर्थी को प्रथम/द्वितीय चरण से भिन्न कोई महाविद्यालय आवंटित होता है तो उन अभ्यर्थियों को प्रथम चरण की ADMISSIONS-2024 (FEE RECEIPT) (कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गये प्रपत्र एवं अलॉटमेन्ट लेटर) के साथ कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड **(आयुष भवन प्रताप नगर, जयपुर)** में व्यक्शि: उपस्थित होकर नवीन महाविद्यालय की फीस रसीद प्राप्त करनी होगी साथ ही फीस की राशि यदि पूर्व में जमा फीस से अधिक है तो शेष राशि का डी.डी. कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में जमा करवाना होगा।

04. क्या तृतीय चरण में अपग्रेड नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करना अनिवार्य है ?

उत्तर :- नहीं, यदि किसी अभ्यर्थी का महाविद्यालय परिवर्तन नहीं हुआ है तो कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करना अनिवार्य नहीं है। वो अभ्यर्थी सीधे ही पूर्व के चरणों आवंटित महाविद्यालय मे 07 दिवस के भीतर रिर्पोट करें।

05. क्या कोई अभ्यर्थी पहले राउंड/दूसरे राउंड से दूसरे राउंड/तीसरे राउंड के दौरान अपग्रेड हो जाती है, तो क्या वे सीधे कॉलेज में रिर्पोट कर सकते है ?

उत्तर :- नहीं। आपको R-2/R-3 अपग्रेडेड सीट पर महाविद्यालय में रिर्पोट करने से पूर्व कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड **(आयुष भवन प्रताप नगर, जयपुर)** में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा तथा नवीन आवंटित महाविद्यालय की ADMISSIONS-2024 (FEE RECEIPT) प्राप्त कर आवंटित महाविद्यालय में 07 दिवस में रिर्पोट करना अनिवार्य होगा।

06. यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम दो चरणों के बाद पश्चात के चरणों में यदि अपग्रेड होता है तथा निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करने में विफल रहता है तो आवंटित सीट का क्या होगा ?

उत्तर :- यदि किसी अभ्यर्थी द्वितीय चरण अथवा बाद के चरणों प्रथम चरण के बाद पश्चात के चरणों में यदि अपग्रेड होता है तथा निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड **(आयुष भवन प्रताप नगर, जयपुर)** में रिर्पोट करने में विफल रहता है तो उसको अनुपस्थित मानकर उसकी सीट को वेकेन्ट सीट माना जाएगा काउंसलिंग फीस/सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी, अतः यहां पुनः समस्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्ही विकल्पों को भरे जो वो अपग्रेड मे जाना चाहते है। तथा अपग्रेड के पश्चात अनिवार्य रूप से काउंसलिंग बोर्ड **(आयुष भवन प्रताप नगर, जयपुर)** में रिर्पोट करें।

07. क्या तृतीय चरण में अपग्रेड हाने वाले अभ्यर्थी प्रथम/द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय को बरकरार रख सकते हैं ?

उत्तर :- नहीं, क्योंकि अपग्रेड होने के कारण प्रथम चरण में आवंटित की गई सीट तुरंत स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगी (यानी, वह सीट किसी और को आवंटित कर दी जाएगी) साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी का महाविद्यालय परिवर्तन हुआ है, तो उसको कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड **(आयुष भवन प्रताप नगर, जयपुर)** में व्यक्तिशः उपस्थित होकर नवीन आवंटित महाविद्यालय की ADMISSIONS-2024 (FEE RECEIPT) प्राप्त करनी होगी तथा द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में 07 दिवस में रिर्पोटिंग करनी अनिवार्य होगी।

08. क्या तृतीय चरण काउंसलिंग फीस/सिक्योरिटी अमाउन्ट संबन्धित क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर :- यदि किसी अभ्यर्थी को द्वितीय चरण एवं अन्य पश्चातवर्ति चरणों में कोई महाविद्यालय आंवटित होता है तथा अभ्यर्थी निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करने मे असमर्थ रहता है तो उसकी काउंसलिंग फीस/सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी।

09. माननीय न्यायालय के द्वारा अनुमत महाविद्यालय के लिए क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर :- माननीय न्यायालय द्वारा अनुमत महाविद्यालयों में प्रवेश माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन रहेगा। साथ ही अभ्यर्थीयों को एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि

- मैं पुत्र/पुत्री श्री उम्र शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा प्रवेश महाविद्यालय/पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में हुआ है।
- मुझे ज्ञात है कि उक्त महाविद्यालय को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंतरिम आदेशों पर प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई है।
- मुझे ज्ञात है कि मेरे उपर्युक्त प्रवेश की स्थिति माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

10. अखिल भारतीय कोटे में सीट आवंटन से पश्चात् भी क्या राज्य कोटे की सीट पर पूर्व में प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान हैं ?

उत्तर :- यदि किसी अभ्यर्थी को AACCC द्वारा आखिल भारतीय कोटे से कोई सीट आवंटित होती है तो उसको राज्य कोटे की सीट पर से अनिवार्य रूप से सरेण्डर कर आखिल भारतीय कोटे AACCC द्वारा आवंटित सीट पर ही प्रवेश लेना होगा अन्यथा उसका प्रवेश दोनो जगह से निरस्त माना जाएगा। (AACCC द्वारा अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी राज्य कोटे पर भी अयोग्य माने जाऐगें। साथ ही उनको राज्य कोटे से आवंटित सीट को अनिवार्य रूप से सरेण्डर करना होगा।)

FAQ

01. Who is eligible to participate in the third round?

Answer: All candidates who participated in the first two rounds and all new candidates who register for the third round will be eligible to participate.

02. What are the provisions for upgrading in the third round?

Answer: All candidates who participated in the first two rounds can apply for an upgrade in the third round by filling in their new choices. However, it should be noted that the allocation of seats in the third round will be based on the seat matrix available and the order of preference of merit. (Candidates are advised to fill only those options they want to upgrade to.) If new choices are filled in the third round and a seat upgrade occurs, the previously allocated seats from rounds 1 and 2 will be cancelled. Additionally, candidates must report to the upgraded seat as per the reporting rules of round 3.

03. Is it mandatory for candidates upgrading in the third round to report to the counselling board office?

Answer: Yes, if a candidate is allocated a college different from the first or second round, they must personally report to the counselling board office (AYUSH BHAWAN Pratap Nagar, Jaipur) with the prescribed forms and allotment letter to obtain the fee receipt for the new college. If the fee amount exceeds the previously paid amount, the remaining balance must be deposited as a DD at the counselling board office(AYUSH BHAWAN Pratap Nagar, Jaipur).

04. Is it mandatory for candidates not upgrading in the third round to report to the counselling board office?

Answer: No, if a candidate's college remains unchanged, it is not mandatory to report to the counselling board office. They can directly report to the previously allotted college within 7 days.

05. If a candidate upgrades from the first/second round to the second/third round, can they report directly to the college?

Answer: No. Candidates must report to the counselling board office (AYUSH BHAWAN Pratap Nagar, Jaipur) before reporting to the college for the upgraded seat from round 2 to round 3 and must obtain the allotment letter for the newly allocated college and report within 7 days.

06. If a candidate upgrades in the subsequent rounds after the first two rounds and fails to report to the counselling board on time, what happens to the allocated seat?

Answer: If a candidate upgrades in the second or subsequent rounds after the first round and fails to report to the counselling board on time, they will be considered absent, and their seat will be treated as vacant. The counselling fee/security fee will be forfeited. Therefore, all candidates are advised to fill only those options they wish to upgrade to and to report to the counselling board (AYUSH BHAWAN Pratap Nagar, Jaipur) after upgrading.

07. Can candidates upgrading in the third round retain the college allocated in the first/second rounds?

Answer: No, because upon upgrading, the seat allocated in the first round will be automatically cancelled (i.e., that seat will be allocated to someone else). Additionally, if a candidate's college changes, they must personally report to the counselling board office (AYUSH BHAWAN Pratap Nagar, Jaipur) to obtain the allotment letter for the newly allocated college and report to the college allocated in the second round within 7 days.

08. What are the provisions regarding counselling fees/security amount in the third round?

Answer: If a candidate is allocated a college in the second round or subsequent rounds and fails to report to the counselling board (AYUSH BHAWAN Pratap Nagar, Jaipur) on time, their counselling fee/security fee will be forfeited.

09. What provisions are there for colleges permitted by the hon`ble court?

Answer: Admission to colleges permitted by the Hon`ble court will be subject to the final decision of the court. Additionally, candidates will need to submit an affidavit stating:

- I, son/daughter of Mr., hereby declare that my admission to the college/course for the academic session 2024-25 has occurred.
- I understand that this college has received admission permission based on the interim orders of the Hon`ble High Court of Jodhpur.
- I understand that my admission status is subject to the final decision of the Hon`ble High Court, and I will bear all responsibility for this.

10. Are there provisions for candidates already admitted in the state quota after seat allocation in the all-India quota (AACCC)?

Answer: If a candidate is allocated a seat from the all-India quota (AACCC), they must necessarily surrender their state quota seat and take admission only in the seat allocated by the all-India quota; (AACCC) otherwise, their admission will be considered cancelled in both cases. (Candidates declared ineligible by the all-India quota will also be considered ineligible in the state quota and must surrender their allocated state quota seat.)